तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज
8/8/25	पतावली पेश हुई। पतावली वास्ते तलबी दि० 26/9/25 को पेश हो।
26/9/25	पतावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतरिम स्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा किये जाने बाबत निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किये जाकर प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। पतावली मूलदावा के साथ संलग्न रहे व नम्बर ले कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में
RM
26/9/25